



क्रमांक / 576 / अका. / असम्बद्ध / 2025


रायपुर, दिनांक 24/03/2025

// आदेश //

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20/02/2025 में लिए गए निर्णय का कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25/02/2025 में अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार चार महाविद्यालयों को परिनियम-27 के कंडिका (9) के अंतर्गत अस्थाई रूप से असम्बद्ध किया जाता है :-

1. प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, माना, रायपुर (छ.ग.)
2. ए.व्ही.एस. प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल कॉलेज, माना, रायपुर (छ.ग.)
3. नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, रायपुर (छ.ग.)
4. प्रज्ञा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रत्नाबांध, धमतरी (छ.ग.)

(कार्यपरिषद् के अनुमोदनानुसार)



24/03/25
कुलसचिव

पृ. क्रमांक / 577 / अका. / असम्बद्ध / 2025

रायपुर, दिनांक 24/03/2025

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. संचालक/प्राचार्य, प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, माना, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. संचालक/प्राचार्य, ए.व्ही.एस. प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल कॉलेज, माना, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. संचालक/प्राचार्य, नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. संचालक/प्राचार्य, प्रज्ञा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रत्नाबांध, धमतरी (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. उप-कुलसचिव परीक्षा/विकास/स.कु.स. नामांकन/गोपनीय/वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
8. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ (NCCF) कांके रोड, झारखंड को सूचनार्थ।
9. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को इस निवेदन के साथ कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचना अपलोड करावें।
10. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


उप-कुलसचिव (अका.)